

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के 29 सितंबर को चुनाव

38 वोटर तय, सबसे ज्यादा 34 जिला क्रिकेट संघ सचिव; 6 पदों के लिए 98 पदाधिकारी मैदान में

जयपुर, 21 सितम्बर (का.सं.)। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव 29 सितंबर को होंगे। अब 38 मतदाता RCA की छह सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे। जिला क्रिकेट संघों को लेकर चली आपत्तियों और सुनवाई के बाद मंगलवार को चुनाव अधिकारी ए.के. पांडे ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। साथ ही लंबे समय से विवादों में चल रहे RCA चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है।

चुनाव अधिकारी की ओर से जारी अंतिम मतदाता सूची में 38 लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया है। इनमें सबसे बड़ी संख्या जिला क्रिकेट संघों के सचिवों की है। 134 जिला क्रिकेट संघों के सचिव RCA की कार्यकारिणी चुनाव में मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनके अलावा जयपुर और नागौर को एडहॉक कमेटियों के कन्वीनर, दो पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर भी मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। वहीं सूची के मुताबिक 98 पदाधिकारी अब RCA के 6 पदों के लिए चुनाव मैदान में हैं। इन्हीं में से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और सदस्य मिलेंगे।

36 जिला संघों की कार्यकारिणी भी घोषित चुनाव अधिकारी ने केवल वोटर लिस्ट ही जारी नहीं की, बल्कि 36 जिला क्रिकेट संघों की तीन सदस्यीय कार्यकारिणी की सूची भी जारी कर दी है। इन्हीं जिला संघों के पदाधिकारी RCA की

दादू पालका धाम भैराणाजी की 16वीं विशाल पदयात्रा हुई रवाना



प्रभात अभिनन्दन न्युज
चौमूं, 22 सितम्बर (का.सं.)। शहर के दुल्हासिंह की ढाणी रोड स्थित दादू चैन आश्रम रूडजी बाबाजी की बगीची से मंगलवार को सुबह 11:15 बजे श्री दादू पदयात्रा समिति के तत्वावधान में दादू पालका धाम भैराणाजी की विशाल पदयात्रा एवं दादूवाणी भव्य शोभायात्रा संयोजक महामंडलेश्वर संत श्री 108 स्वामी क्षमारामजी महाराज के परम

सानिध्य में गाजे बाजे के साथ रवाना हुई। समिति के अध्यक्ष रामशरण माली ने बताया कि यह शोभायात्रा शहर के होली दरवाजा, चौपड़, सदर बाजार, त्रिपोलिया बाजार, लक्ष्मीनाथ चौक, बावड़ी गेट बस स्टैंड, मोरीजा रोड बाईपास पुलिया होते हुए अमेर जयपुर पहुंची।

जहां से आगे भैराणा धाम के लिए

प्रस्थान करेगी। यह पदयात्रा भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा शनिवार 26 सितंबर को श्री दादू पालका भैराणा धाम पहुंचेगी। पदयात्रा एवं शोभायात्रा में कोषाध्यक्ष बाबूलाल माली, कजोड़मल सैनी, रघुवर बाबाजी, सेवानिवृत्त लाइनमैन राजू लाल माली, कंटान जाट, रामसहाय, जगदीश, जयराम, बंशी रावल्या आदि मौजूद थे।

मुजाहिद खान बने उपसभापति, शहरवासियों ने विधायक सहित नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का किया स्वागत

38 मत लेकर भाजपा की चतरो देवी को 16 मतों से हराया

गंगापु्र सिटी, 21 सितम्बर (मदन मोहन गार्ग)। नगर परिषद गंगापु्र सिटी के उपसभापतों

पद के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुजाहिद खान ने जीत दर्ज की। मंगलवार को हुए चुनाव में नगर परिषद के सभी 60 निर्वाचक सदस्यों ने मतदान किया और सभी मत वैध पाए गए। मुजाहिद खान को 38 मत मिले, जबकि भाजपा की चतरो देवी को 22 मत प्राप्त हुए। मुजाहिद खान ने 16 मतों के अंतर से जीत हासिल की। मुजाहिद खान के उपसभापति निर्वाचित होने के बाद शहरवासियों ने विधायक रामकेश मीणा, नवनिर्वाचित सभापति कृष्ण कुमार गोयल ‘कुबेर’ एवं उपसभापति मुजाहिद खान का

मुजाहिद खान के उपसभापति निर्वाचित होने के बाद शहरवासियों ने विधायक रामकेश मीणा, नवनिर्वाचित सभापति कृष्ण कुमार गोयल ‘कुबेर’ एवं उपसभापति मुजाहिद खान का

श्रीवीर तेजाजी धाम विकास समिति की बैठक आयोजित

कालूराम जाट सैतीसवीं बार निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित



प्रभात अभिनन्दन न्युज
चौमूं, 22 सितम्बर (का.सं.)। नगर परिषद क्षेत्र के रेनवाल रोड, रेलवे अंडरपास के पास स्थित श्रीवीर तेजाजी धाम पर तेजाजशमी मेले के अवसर पर सोमवार को रात्रि में श्रीवीर तेजाजी धाम विकास समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष कालूराम जाट की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में गत वर्ष का आय-व्यय का हिसाब पेश किया गया। जिसका उपस्थित सभी लोगों ने अनुमोदन किया। बैठक में समिति के अध्यक्ष कालूराम जाट को लगातार 37वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। बैठक में उपाध्यक्ष

नानूराम यादव, महामंत्री रतन लाल गोरा, मंत्री छट्टन लाल यादव, कोषाध्यक्ष गोपाल लाल यादव, पूर्व कोषाध्यक्ष रमेश चंद कुमावत, सदस्य मोहनलाल गोय, अशोक सैनी, बाबूलाल करीग, शौतन मल गोरा, पूर्व संपद शैलेंद्र चौधरी, एडवोकेट सुंशे गोदावरा, सोहनलाल गोय, रजेश गोय, मदन लाल गोय, सुंशे गोय, मुंशेस कुमार गोय, पुजारी ताचंद शर्मा, अविंशद भारार मौजूद थे। तेजाजशमी पर आयोजित हुए मेले के अवसर पर पुलिस प्रशासन के द्वारा माकूल व्यवस्था किए जाने पर चौमूं थाना प्रभारी गुरु भूषेंद्र सिंह का समिति अध्यक्ष कालूराम जाट ने माल्यार्पण कर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया।

राष्ट्रीय सनातन सेना भारत: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एंबेसडर व राष्ट्रीय गायिका शक्ति दुबे बनीं मध्य प्रदेश की प्रदेश प्रवक्ता

गंगापु्रसिटी। सनातन धर्म, संस्कृति और सामाजिक चेतना के प्रचार-प्रसार में जुटी अग्रणि संस्था राष्ट्रीय सनातन सेना भारत (सनातन सर्व सेवा संघ) ने संगठन का विस्तार करते हुए एक

महत्वपूर्ण नियुक्ति की है। संगठन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा पन्ना जिले की निवासी, सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय गायिका एवं कथा वाचक शक्ति दुबे को मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता (महिला इकाई) नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती शुक्ला जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रणव पटेल जी तथा महिला इकाई की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती विनेश भदोरिया जी की सहमति और दिशा-निर्देशानुसार की गई है। जारी किए गए आधिकारिक नियुक्ति पत्र के अनुसार, परम पूज्य सदाचंद महाराज जी एवं पूज्य गुरुदेव दंदरीआ महाराज जी के पावन आशीर्वाद से राष्ट्रीय सनातन सेना की कोर कमेटी ने शक्ति दुबे के

गंगापुरसिटी। सनातन धर्म, संस्कृति और सामाजिक चेतना के प्रचार-प्रसार में जुटी अग्रणि संस्था राष्ट्रीय सनातन सेना भारत (सनातन सर्व सेवा संघ) ने संगठन का विस्तार करते हुए एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की है। संगठन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा पन्ना जिले की निवासी, सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय गायिका एवं कथा वाचक शक्ति दुबे को मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता (महिला इकाई) नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती शुक्ला जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रणव पटेल जी तथा महिला इकाई की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती विनेश भदोरिया जी की सहमति और दिशा-निर्देशानुसार की गई है। जारी किए गए आधिकारिक नियुक्ति पत्र के अनुसार, परम पूज्य सदाचंद महाराज जी एवं पूज्य गुरुदेव दंदरीआ महाराज जी के पावन आशीर्वाद से राष्ट्रीय सनातन सेना की कोर कमेटी ने शक्ति दुबे के

 भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	एच एल सी-1, दूसरी मंजिल, कैलाश टावर, टाक रोड, गांधी नगर मॉड के पास, टाक रोड, जयपुर राजस्थान 302015 PH-0141 2745906
परतिष्ठ IV/नियम 8 (1) देखें, आधिपत्य नोटिस जबकि, आर्धोत्तराश्वकर्ता ने भारतीय स्टेट बैंक का प्रसिद्ध अधिकारी होने के नाते वित्तीय आगियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्ण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन कानून 2002 के प्रवर्तन और धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) कानून 2002 का समीपन नियम 3 के अंतर्गत दिनांक 07.07.2026 को मांग नोटिस जारी किया बा जिसमें श्रेणी स्वीयॉय श्री फहे सिंह, पुत्र स्वीयॉय श्री राम चंद्र और स्वीयॉय श्रीमती कुमारी पत्नी स्वीयॉय श्री फहे सिंह , के कानूनी अधिकारियों (1) श्री भूपेंद्र सिंह पुत्र स्वीयॉय श्री फहे सिंह , (2) श्री पवन सिंह पुत्र स्वीयॉय श्री फहे सिंह , (3) श्री विनोद सिंह पुत्र स्वीयॉय श्री फहे सिंह से रूपये 32,01,216/- (शब्दों में बत्तीस लाख एक हजार दो सौ सोलह रुपये मात्र) 03.07.2026 तक - आगे का ब्याज व अन्य चार्ज नोटिस की दिनांक से 60 दिनों के भीतर करने की मांग की की। श्रेणी द्वारा समुचित राशि के भुगतान करने में असफल होने पर, श्रेणी/जमानदार व आपसज को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उसका/की धारा 13 (4) जिनियम 8 के अधीन, आर्धोत्तराश्वी ने आज दिनांक 18.09.2026 को निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है। श्रेणी/जमानदार एवं आपसज को सम्पत्ति का ब्याज जाता है, कि इस सम्पत्ति बाबत कोई व्यवहार नहीं करें और किये गए व्यवहार पर भारतीय स्टेट बैंक के बकाया राशि रुपये 32,01,216/- (शब्दों में बत्तीस लाख एक हजार दो सौ सोलह रुपये मात्र) 03.07.2026 तक व आगे का ब्याज व अन्य चार्ज अतिरिक्त कोशिश कर भार होना। श्रेणीयां का ब्याज प्रतिभूत आगियों के मोचन को लिए उल्लेख समय को सम्पूर्ण में अधिनियम की धारा 13 की धारा (8) के अधिनियम की ओर आकृष्ट किया जाता है।	
 स्थायर सम्पत्ति का विवरण	
संपत्ति के सभी अंग व अंश जिसमे नॉटिफिकेशन नं०-103, आर्ध बिहार रेलवे कालोनी, जयपुर,जयपुर मैमिबन को स्वीयॉय श्री फहे सिंह पुत्र स्वीयॉय श्री राम चंद्र के नाम पर है। क्षेत्रफल: 216.66 वर्ग मीटर सौंपाएँ : - जगन्मोहन सिंह एवं श्रीमती नंसी-102 दक्षिण में: प्लॉट नं०-की-104 पूर्व में: प्लॉट नं०-94 पश्चिम में: 40' - 0 चौड़ी सड़क	
दिनांक :- 18.09.2026	स्थान :- जयपुर
	प्राधिकृत अधिकारी (भारतीय स्टेट बैंक)

इण्डियन ओवरसीज बैंक

शाखा : पंजाबीबाग 1/52, नॉर्थ एवेन्यू रोड, पंजाबी बाग (पश्चिम) , नई दिल्ली 110026

दूरभाष/ **Tel:**: 8925950687 ईमेल: **iob0687@iob.in**

वेबसाइट : **https://iob.bank.in**

ई-नीलामी रह करने संबंधी सूचना/संशोधन

यह सूचना प्रभात हेडलाइन और प्रभात अभिनन्दन (09.09.2026 को) में प्रकाशित और अधिबन्त ई-नीलामी पोर्टल **BAANKNET.com (URL: https://baanknet.com)**, जो ई-नीलामी के लिए सर्विस प्रोवाइडर है) पर अपलोड की गई 07.09.2026 को ई-नीलामी विक्री सूचना के संघर्ष में है। यह सूचना नीचे बताई गई सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) की विक्री के लिए है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के तहत की जा रही है। 21.16/- (शब्दों में बत्तीस लाख एक हजार दो सौ सोलह रुपये मात्र) 03.07.2026 तक व आगे का ब्याज व अन्य चार्ज अतिरिक्त कोशिश कर भार होना। श्रेणीयां का ब्याज प्रतिभूत आगियों के मोचन को लिए उल्लेख समय को सम्पूर्ण में अधिनियम की धारा 13 की धारा (8) के अधिनियम की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र.सं.	उधारकर्ताओं के नाम	अचल संपत्ति का विवरण
1.	श्रीमती इंदिरा देवी पत्नी श्री विलोक चंद	विला नंबर 101 का घर, खसरा नंबर 1887/1651 पर मकान श्री बालाजी नगर-2, ग्राम-गुदवार पीटवार हल्का, तहसील-सुजानगढ़ जिला-चूरू, राजस्थान-331507 प्लॉट क्षेत्रफल : 81.97 वर्ग मीटर। स्थानिक : श्रीमती इंदिरा देवी पत्नी श्री विलोक चंद सौंपाएँ से विरा : पूर्व : सड़क 30 फीट चौड़ी उत्तर : विला नं.102 पश्चिम : विला नं.78 दक्षिण : विला नं.100
2.	श्रीमती अनिता पत्नी श्री महेश रताव	विला नंबर 74 का घर, खसरा नंबर 1887/1651 श्री बालाजी नगर-1, गांव-गुडवावाड़ी पटवार हल्का, तहसील-सुजानगढ़ जिला- चूरू, राजस्थान -331507, मालिक अनिता पत्नी श्री महेश रताव (बेटी श्री राम लाल शर्मा) प्लॉट एरिया 81.97 रक़ायर मीटर, सौंपाएँ से विरा है : उत्तर: विला नंबर 73 पूर्व: विला नंबर 105, दक्षिण: विला नंबर 75 पश्चिम: सड़क 40 फीट चौड़ी
3.	मिर्दु सिंह पुत्र श्री समंदर सिंह	विला संख्या 79 का मकान, खसरा संख्या 1887/1651 श्री बालाजी नगर-1, ग्राम गुडवावाड़ी जिला- चूरू, सुजानगढ़ राजस्थान-331507 में स्थित। प्लॉट का क्षेत्रफल: 81.97 वर्ग मीटर मालिक: मिश्रु सिंह पुत्र श्री समंदर सिंह सौंपाएँ: उत्तर: विला संख्या 78 पश्चिम: विला संख्या 80 पूर्व: विला संख्या 100 दक्षिण: सड़क 40 फुट चौड़ी सड़क
4.	अजय पाल सिंह और राजेंद्र कंवर	विला नंबर 10 का घर, खसरा नंबर 1890/1651, श्री बालाजी नगर-2, गाँव-गुदवावाड़ी, पटवार हल्का, जिला-चूरू, सुजानगढ़, राजस्थान-331507 प्लॉट एरिया : 80.99 वर्ग मीटर, मालिक श्री अजय पाल सिंह और श्रीमती राजेंद्र कंवर (कजंदार) सौंपाएँ से विरा हुआ : उत्तर : विला नं.11 दक्षिण : विला नंबर 09 पूर्व : दूसरी जगह पश्चिम : सड़क 30 फीट चौड़ी
5.	विमला देवी पत्नी श्री निरंजन कुमार और निरंजन कुमार पुत्र श्री सीता राम शर्मा	विला संख्या 91 का घर, खसरा संख्या 1887/1651, श्री बालाजी नगर-1, ग्राम- गुडवावाड़ी, पटवार हल्का, तहसील-सुजानगढ़, जिला- चूरू, राजस्थान -331507 में स्थित मालिक: निरंजन कुमार शर्मा (पुत्र पिता श्री सीता राम शर्मा) प्लॉट का क्षेत्रफल 81.97 वर्ग मीटर सौंपाएँ : उत्तर: विला संख्या 90 पूर्व : 30 फुट चौड़ी सड़क दक्षिण : विला संख्या 92 पश्चिम : विला संख्या 88
6.	श्रीमती चंद्रा कंवर पत्नी श्री प्रह्लाद सिंह	विला नंबर 11 का घर, खसरा नंबर 1890/1653, श्री बालाजी नगर पॉर्ट-2, गांव- गुदवावारी पटवार हल्का, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चूरू, राजस्थान -331507 पर घर प्लॉट एरिया: 79.04 वर्ग मीटर, मालिक: श्रीमती चंद्रा कंवर चाँरो ओर सौंपाएँ: पूर्व: ज़मीनी अन्य उत्तर: विला नंबर 12 पश्चिम: सड़क 30 फीट चौड़ी दक्षिण: विला नंबर 10
7.	चंद प्रकाश शर्मा	विला नंबर 85 का घर, खसरा नंबर 1887/1651 श्री बालाजी नगर -1, गाँव- गुदवावाड़ी पटवार हल्का, तहसील-सुजानगढ़, जिला-चूरू राजस्थान -331507 मालिक चंद प्रकाश शर्मा (उधारकर्ता) प्लॉट एरिया 81.97वर्ग मीटर इसके चाँरो ओर: उ तर: विला नंबर 84 तर: विला नंबर 94 पूर्व: विला नंबर 94 दक्षिण: विला नंबर 86 पश्चिम: सड़क 40 फीट चौड़ी
8.	जीतेन्द्र प्रजापत	विला नंबर 75 का घर, खसरा नंबर 1887/1651 पर मकान श्री बालाजी नगर-1, ग्राम-गुदवावाड़ी पटवार हल्का, तहसील-सुजानगढ़ जिला-चूरू, राजस्थान-331507 स्थानिक: जीतेन्द्र प्रजापत (उधारकर्ता) प्लॉट क्षेत्रफल 81.97 वर्ग मीटर सौंपाएँ से विरा हुआ : उत्तर: विला नं.74 पूर्व: विला नं.104 दक्षिण:विला नं.76 पश्चिम: सड़क 40 फीट चौड़ी

2. रह करने की सूचना
आप जन्ता को, और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और संपातित बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि प्रशासनिक कार्यों से संपत्तियों की निष्कर्षित ई-नीलामी रद्द/बापस ले लो गई है।

3. बयाना राशि (ईएमडी) की वापसी
आगामी ई-नीलामी के लिए सभी संपातित बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई बयाना राशि (ईएमडी) बिना किसी ब्याज के उनके संबंधित खाते में वापस कर दी जाएगी। दिनांक 07.09.2026 को मूल बिक्री सूचना में उल्लेखित अन्य सभी नियम और शर्तें इस विशिष्ट नीलामी प्रक्रिया के लिए अमान्य हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 22.09.2026

केकड़ी नगर पालिका उपाध्यक्ष बने RLP के राजेंद्र चौधरी

22 मत लेकर दर्ज की जीत, भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी को मिले 18 वोट; 4 मतों से जीते

प्रभात अभिनन्दन न्युज

केकड़ी, 22 सितम्बर (दीपांकुश चौहान)। केकड़ी नगर पालिका उपाध्यक्ष पद के चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के राजेंद्र चौधरी ने जीत दर्ज की। चौधरी को कुल 22 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के पक्ष में 18 मत पड़े। इस तरह राजेंद्र चौधरी ने 4 मतों के अंतर से जीत हासिल की।

परिणाम घोषित होने के बाद रिटर्निंग अधिकारी सुरेश कुमार ने राजेंद्र चौधरी को निर्वाचित होने का प्रमाण-पत्र प्रदान किया। जीत की घोषणा होते ही समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला और समर्थकों ने उन्हें बधाई दी।

बोले- ईमानदारी और मजबूती से करेंगे काम

नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी



ने कहा कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। शहर की जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, उसे पूरी ईमानदारी और मजबूती के साथ निभाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीना ठोककर और ईमानदारी से काम करेंगे तथा केकड़ी शहर के विकास को

प्राथमिकता देंगे उन्होंने कहा कि नगर पालिका में जनहित से जुड़े मुद्दों प्रमुखता दी जाएगी और शहर के विकास के लिए पूरी ताकत के साथ काम किया जाएगा।

एक दिन पहले कांग्रेस के अनिल मित्तल बने थे अध्यक्ष गौरलाल है कि 21 सितंबर को नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस के अनिल मित्तल ने 21 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 19 मत मिले थे। इसके अगले दिन उपाध्यक्ष पद पर RLP के राजेंद्र चौधरी की जीत के बाद नगर पालिका के सियासी समीकरण एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। राजेंद्र चौधरी के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उनके समर्थकों ने बधाई देते हुए शहर के विकास को लेकर नई उम्मीद जताई।

भौतिक कब्जे की सूचना

ICIICI Home Finance

फंक्चनल कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक टावर, वाटन-कुलॉ कॉन्फ्लेक्स, वाटन (पूर्व), मुंबई- 400051

कांफिरेट कार्यालय: आईसीआईआई एनएफसी टावर, जेबी नगर, अंधेरी कुला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई- 400059

शाखा कार्यालय: प्लॉट नंबर 1, पहली मंजिल, सहयोग भवन, एरोड्रम सर्कल, कोटा- 324007

जबकि

अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के तहत आईसीआईआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिभूक्त अधिकारी होने के नाते, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पड़े गए धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्रतिलिपि की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लेखित राशि का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी करता है।

चूंकि उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा, इसलिए उधारकर्ता और आप जन्ता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उक्त अधिनियम नीचे उल्लेखित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जन्ता को आग्रह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन आईसीआईआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

सुरक्षित संपत्तियों को भुगाने के लिए उल्लेख समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र.सं.	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता का नाम/ श्रेणी खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/ कब्जा की तिथि	सूचना मांग की तारीख/ मांग सूचना	शाखा का नाम
1.	स्वयंरा सुनीत दीक्षित (उधारकर्ता), ममता गौत (कानूनी उत्तराधिकारी, पत्नी - स्वयंरा सुनीत दीक्षित) (सह-उधारकर्ता), कै52 दूसरी मंजिल, शर्मा कॉलोनी, नंदपुरी, हवा सड़क, 22 गोदाम स्कूल, महावीर नगर एक्सप्रेसवे, कोटा, राजस्थान 324009, LHKOT00001587866	मकान संख्या 3- एच-1, महावीर नगर विस्तार, कोटा, राजस्थान 324009। सौंपाएँ: उत्तर में मकान संख्या 3एच 58, दक्षिण में सड़क, पूर्व में मकान संख्या 3एच 2, पश्चिम में सड़क।। कब्जे की तिथि: 18 सितंबर 2026	07-01-2026 र. 81,25,400/-	कोटा

उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटियों को राशि चुकाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा गिरवी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेच दिया जाएगा। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधान।

दिनांक: 23 सितंबर, 2026

स्थान: कोटा

प्राधिकृत अधिकारी,
आईसीआईआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटियों को राशि चुकाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा गिरवी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेच दिया जाएगा। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधान।

दिनांक: 23 सितम्बर, 2026	प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: कोटा	आईसीआईआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
आनंद राठी	आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड: एक्सप्रेस जॉन,
रखोलका फाइनेंस	बी किंग, पांचवीं मंजिल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरगंज (पूर्व), मुंबई - 400 063, भारत
फलेक्स फिनेंस एंड ज़िफ	संदर्भ संख्या: APPL00009063 और APPL00014223 और APPL00026394
कब्जा सूचना	
जबकि, आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड के अधिभूक्त अधिकारी ने, 'वित्तीय आगियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002' (अधिनियम 54, 2002) के तहत, और 'प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002' के नियम 3 के साथ पड़ित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 2 के तहत एक 'मांग नोटिस' (जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में विशेष रूप से उल्लेखित है, जिसे इसके बाद 'मांग नोटिस' कहा जाएगा) जारी किया। इस नोटिस के माध्यम से, ब्रण्णदाता (ओ) (जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में विशेष रूप से उल्लेखित है; जिन्हें इसके बाद 'ब्रण्णदाता' (ओ)' कहा जाएगा) ने यह मांग की गई है कि वे मांग नोटिस में उल्लेखित राशि को, उस पर अधिकतम ब्याज दर से लाने वाले अधिकारिक और भविष्य के ब्याज के साथ-साथ, (शुल्क और अन्य देय राशिओं) (यदि कोई हो) सहित-मांग नोटिस की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख और/या ARGFL द्वारा बयूनी को तारीख तक-मांग नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुका दें। इस पूर्ण राशि को इसके बाद 'देय राशि' कहा जाएगा।	
ब्रण्णदाता (ओं) और सह-ब्रण्णदाता (ओं) द्वारा देय राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, यह सूचना विशेष रूप से नीचे उर्खिखित ब्रण्णदातां को और सामान्य रूप से जन्ता को दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पड़ित, नीचे उल्लेखित राशि को नीचे वर्णित संपत्तियों/परिसंपत्तियों (जैसा कि मांग सूचना में परिभाषित है) का संकेतिक कब्जा ले लिया है। ब्रण्णदाता और सह-ब्रण्णदाता (ओं) को विशेष रूप से और आप जन्ता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें। संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा बकाया राशि (नीचे विशेष रूप से उल्लेखित) के लिए प्रभार के अधीन होगा, साथ ही संबंधितक ब्याज दर पर आगे और भविष्य के ब्याज, लागत और शुल्क तथा अन्य देय राशिओं (यदि कोई हो) भी देय होंगी, जो एगारजीएफएल द्वारा भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू होंगी। ब्रण्णदाता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अधीन आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित है।	
उधारकर्ता का नाम पता: 1. फलेक्स फिनेंस एंड ज़िफ (उधारकर्ता) प्लॉट नंबर 13 ए, श्री चंद नगर, गुर्जर घाटी, आमेर रोड, जयपुर: 302002, राजस्थान।	
सह-उधारकर्ता का नाम पता: 2. नीता (सह-उधारकर्ता) 3. गीता भगवान्नी (सह-उधारकर्ता) 50 ए, श्री चंद नगर, आमेर रोड, गुर्जर घाटी, जयपुर: 302002, राजस्थान। 4. दीपक त्रिलोकन (सह-उधारकर्ता) प्लॉट नंबर 13 ए, श्री चंद नगर, जयपुर, गुर्जर घाटी, आमेर रोड, जयपुर: 302002, इसके अलावा: 50 ए, श्री चंद नगर, आमेर रोड, गुर्जर घाटी, जयपुर: 302002, राजस्थान।	

डि मांड नोटिस के अन्सार देय राशि, साथ ही लागू होने व ा ल अतिरिक्त ब्याज।	ब्रण्ण समझौता संख्या: APPL00009063 रुपये 18,70,558/- (अठारह लाख सतर हजार पांच सौ अठ्ठान रुपये मात्र)	ब्रण्ण समझौता संख्या: APPL00014223 रुपये 9,87,236/- (नीं लाख सत्तासी हजार दो हजार छत्तास रुपये मात्र)	ब्रण्ण समझौता संख्या: APPL
--	---	--	-----------------------------------